अपील सूचना अधिकार संख्या 78/2020(GCMS 2020/00135)(पोस्ट ऑर्डर संख्या 48एफ 310371) श्री राधेश्यामम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94139–35077) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

01.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2020 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना उसे दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जिसकी प्रति अपीलार्थी ने अपनी अपील के संलग्न नहीं की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2021/910 दिनांक 11.05.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसाद दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री [illegible]दास गोयल, निवासी 23 के ब्लॉक, नजदीक [illegible] श्रीगंगानगर के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने के क्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त के क्रम में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय में दिनांक 06.07.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 78/2020

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। श्रीमान्जी प्रार्थी द्वारा मांगी जा रही सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 330 दिनांक 14.07.2020 के द्वारा (प्रति संलग्न) प्रकरण के सम्बन्ध में जांच की गई थी। जांच उपरान्त जांच रिपोर्ट श्रीमान् अति.जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को भिजवा दी गई हैं। क्योंकि श्रीमान्जी आपके पत्र क्रमांक एफ1(14) सतर्कता(2310)( )(2019)2338 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया था। प्रार्थी जांच में पाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज एवं जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई, के बारे में सूचना चाहता है जो कि इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उक्त अपील को दाखिल दफ्तर करने का श्रम फरमावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:56 IST
Reason: SelfAttested

लोकसूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने पत्रांक आरटीआई/20/330 दिनांक 14.07.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री यशपाल आहुजा द्वारा उक्त प्रकरण के संदर्भ में जांच की गई थी, जांच रिपोर्ट श्रीमान् अति. जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर को भिजवा दी गई हैं। प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

अगर आप इस सूचना से संतुष्ट नही है, तो अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को निर्धारित अवधि में अपील कर सकते है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सादुलशहर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक की ओर से उन्हें आवेदक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:56 IST
Reason: SelfAttested